न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
67/2024	05/09/2024	03/11/2025

मांगीलाल पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बम्बूलियाँ तह. पीपल्दा जिला कोटा

वादी

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत
2. विजयबहादुर सिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत
3. मांगीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कलाल
4. कानसिंह पुत्र छोटासिंह जाति राजपूत
   निवासीगण बम्बूलियाँ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 183 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बम्बूलियाँखुर्द पटवार हल्का बम्बूलियाँखुर्द भू—अभिलेख क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के राजस्व रिकोर्ड में हाल खाता संख्या नया 178 पुराना 184 खसरा संख्या 154 रकबा 1.43 हैक्टेयर, कृषि आराजी स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी वादी एवं वादी के भाई की खातेदारी मे सम हिस्से में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी वादी एवं उसके भाई द्वारा अन्य व्यक्तियो के द्वारा काश्त कराई जाती रही है। विगत् कुछ वर्षो से समीपवर्ती कृषकगण द्वारा वादी की वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। विगत् मई माह मे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर जबरन अतिचार कर लगभग 0.64 हैक्टर कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से हाँक दिया प्रार्थी द्वारा तहसील प्रशासन पीपल्दा मे सीमाज्ञान आवेदन किया जाने पर राजस्व टीम द्वारा विगत् दिनांक 03. 06.2024 को सीमाज्ञान कर वादी के दावे की पुष्टि कर 0.64 हैक्टर कृषि भूमि पर अन्य लोगो का कब्जा दर्शित कर सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है. उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट अवलोकन से प्रतिवादीगण का अवैधानिक कब्जा बताया। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के बाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 समीपवृति कृषकगण को अनुनय विनय करने के उपरान्त भी उक्त लोगो द्वारा उक्त अवैध कब्जे को नही हटाने एव शेष आराजी पर भी जबरन अवैध कब्जा करने की धमकियां प्रदान की है, एवं दिनाक 05. 08.2024 को वादी की शेष आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकिया प्रदान करने के उपरान्त वादी को उक्त अतिक्रमीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय की सहायता से बैदखली का वाद प्रस्तुत कर डिकी मय आदेश प्राप्त करना लाजिम हो गया कि ग्राम बम्बूलियाखुर्द पटवार हल्का बम्बूलियाखुर्द भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के राजस्व रिकॉर्ड मे हाल खाता संख्या नया 178 पुराना 184 खसरा संख्या 154 रकबा 1.43 हैक्टेयर, कृषि आराजी मे प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादी को उक्त भूमि का तन्हा कब्जा दिलवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा जवाबदावा पेश कर वाद के बिंदु संख्या 1 से 10 को स्वीकार कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि व वाद से हम प्रतिवादीगण को कोई सरोकार नहीं है निस्तारण कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सम्मन की विधिवत तामील के बावजूद स्वयं या अधिवक्ता द्वारा किसी तरह का कोई जवाब या सबूत साक्ष्य पेश नहीं

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

किया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाबबंद कर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा शपथपत्र साक्ष्य बाबत पेश कर कथन किया की ग्राम बम्बूलियाँखुर्द पटवार हल्का बम्बूलियाँखुर्द भू–अभिलेख क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के राजस्व रिकोर्ड में हाल खाता संख्या नया 178 पुराना 184 खसरा संख्या 154 रकबा 1.43 हैक्टेयर, कृषि आराजी स्थित है जो मेरे व मेरे भाई के हिस्से की भूमि है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगणों ने जबरन अनाधिकृत रूप से अतिचार किया हुआ है। जिसका 03.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया हुआ है लेकिन प्रतिवादी कब्जा छोड़ने पर आमादा नहीं है। साक्ष्यवादी में प्रताप सिंह पुत्र गंगासिंह ने शपथपत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है उक्त शपथपत्र में भी प्रतिवादीगणों ने जबरन अतिचार किया हुआ बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श P-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श P-2, मौका रिपोर्ट पैमाइश प्रदर्श P-3, साक्ष्यवादी जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का अध्ययन मनन करने एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गौर करने पर हस्तगत वाद में वादी सदभावी कृषक है और विधिक रूप से स्थापित सदभावी कृषक की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से हाँक कर किये गये अतिक्रमण का बेदखल किया जाकर वादी को संभलाया जाना आवश्यक है ताकि वादी निर्बाध रूप से अपने खातेदारी भूमि में काश्त कर सके।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ग्राम बम्बूलियाँखुर्द पटवार हल्का बम्बूलियाँखुर्द भू–अभिलेख क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के खसरा संख्या 154 रकबा 1.43 हैक्टेयर से बेदखल किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलदा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बम्बूलियाँखुर्द पटवार हल्का बम्बूलियाँखुर्द भू–अभिलेख क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के खसरा संख्या 154 रकबा 1.43 हैक्टेयर, भूमि पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03/06/2024 में वर्णित कब्जा हटाया जाकर वादी को भूमि का तन्हा कब्जा दिलाया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
67/2024	05/09/2024	03/11/2025

मांगीलाल पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बम्बूलियाँ तह. पीपल्दा जिला कोटा

वादी

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत
2. विजयबहादुर सिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत
3. मांगीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कलाल
4. कानसिंह पुत्र छोटासिंह जाति राजपूत
   निवासीगण बम्बूलियाँ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट.

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाहा एडवोकेट एवं श्री हेमन्त शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................ .. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बम्बूलियाँखुर्द पटवार हल्का बम्बूलियाँखुर्द भू–अभिलेख क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के खसरा संख्या 154 रकबा 1.43 हैक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बेदखल किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलदा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बम्बूलियाँखुर्द पटवार हल्का बम्बूलियाँखुर्द भू–अभिलेख क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के खसरा संख्या 154 रकबा 1.43 हैक्टेयर, भूमि पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03/06/2024 में वर्णित कब्जा हटाया जाकर वादी को भूमि का तन्हा कब्जा दिलाया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 03.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत०			मुत०		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा